जामिया मिल्लिया इस्लामिया
प्रेस विज्ञप्ति 29 जुलाई 2020

जनसंपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी के महत्व और उसके सामाजिक-कानूनी ढांचे पर जामिया में वेबिनार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फैकल्टी आॅफ लाॅ ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग और उसके सामाजिक-कानूनी पहलू पर 27 जुलाई, 2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। लाॅ फैकल्टी की पूर्व डीन और इस वेबिनार की संयोजक, डॉ नुज़हत परवीन खान ने तकनीकी क्रांति के प्रभाव और ऑनलाइन शॉपिंग में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी क्रांति के चलते इंटरनेट ने विक्रेताओं के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से वर्चुअल दुकानें खोलना मुमकिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से, दुकान या कारोबार को कोई व्यक्ति अपने घर से चला सकता है और उपभोक्ता अपने घर से बैठे बैठे सामान का ऑर्डर दे सकते हैं।

इसके बाद प्रो (डॉ) इकबाल हुसैन (डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ) ने अपने स्वागत भाषण में सभी विशिष्ट अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों और मुख्य वक्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग पर नियामक कानूनी ढांचे अभी अपर्याप्त है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आॅनलाइन शापिंग करने वाले उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन भारत में ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख़्तर ने वेबिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आॅनलाइन खरीदारी के फायदे और नुकसान के पहलू, उपभोक्ताओं के खरीदारी पैटर्न और व्यवहार को प्रभावित करते है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने, सामान की कमी होने या बीमार होने के लोगों के भय ने भी, ऑनलाइन शॉपिंग में भूमिका बढ़ाई है। कुलपति ने कहा कि कोविड-19 में बेचने वालों और खरीदारों दोनों का रवैया बदल रहा है, यहां तक कि छोटे-छोटे

दुकानदारों ने भी उत्पादों को घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और खरीदार भी लक्ज़री की चीज़ों को खरीदने की बजाय बहुत ज़रूरी सामान खरीद रहे हैं।

इस वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आॅनलाइन खरीदारी करते समय, कोई भी आर्डर देने से पहले वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इससे धोखा-धड़ी के चांस कम होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और साइबर लाॅ एक्सपर्ट, डॉ पवन दुग्गल और डॉ कर्णिका सेठ वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। इन्होंने बताया कि खरीदारों की शिकायतों को, हाल ही में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स पर एक अलग तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि समय के साथ डिजिटल खरीदारों की तादाद में भारी वृद्धि हुई है। डॉ पवन ने इंटरनेट पर किसी भी लेनदेन में जाने से पहले दिशानिर्देशों की जांच करने की ज़रूरत पर खास ज़ोर दिया। डा कर्णिका ने कहा कि दुकानदारों को दर्ज कराई गई शिकायतों की अनदेखी नहीं करना चाहिए, चाहे शिकायतकर्ता का दावा कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने डेटा संरक्षण और गोपनीयता विधेयक, 2019 के तहत उपभोक्ता के अधिकारों और डेटा गोपनीयता की सुरक्षा पर प्रकाश डाला।

जामिया फैकल्टी आॅफ लाॅ के सहायक प्रोफेसर, डॉ फैजानुर रहमान की ओर से पेश वोट आॅफ थैंक्स से वेबिनार संपन्न हुआ। इस वेबिनार का संचालन सुश्री उनान्ज़ा गुलज़ार (जामिया की रिसर्च स्कॉलर) ने किया। वेबिनार में पूरे भारत से प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अहमद अज़ीम
जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक